

**FIRE SAFETY CERTIFICATE**No 233/F-3Dated 06-01-2024

Certified that the **RED ROSE CONVENT SCHOOL** (name of the building or premises) at **Barakhera, Gadarpur, Udhm Singh Nagar, Uttarakhand** (address) comprised of **zero** basement(s) and **03 (Three)** (upper floors) owned occupied by **Red Rose Convent School** (name of the institution) have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of State/ UT Fire Service Rules, and verified by the officers concerned of Fire Service on 16-04-2023 (date of inspection) in the presence of **Subhash Chandra Gumber, Awas Vikas Gadarpur Uttarakhand** (name and addresses of the Manager/ Secretary or his representative) and that the building /premises is fit for occupancy up to classes (XII) With effect from 18-04-2023 for a period of 3 (three) year in accordance with rule and subject to compliance of specific conditions as appended-

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_

Issued on 06-01-2024 (date of issue) at Fire Station Rudrapur (place) by

"Strike out whichever is not applicable.

Signature with Seal

Name

Designation

6-1-24  
अग्निशमन अधिकारी

रुद्रपुर, ऊधम सिंह नगर

Aitish Singh Bisht

: FSO

Name & Address of Department/ Office: Fire Station Rudrapur Distt. Udhm Singh Nagar

To,  
**Red Rose Convent School**  
**Barakhera, Gadarpur, Udhm Singh Nagar,**  
**Uttarakhand -263152**  
(Name & Address of the Institution)

ENDORSEMENT

The No Objection Certificate issued by Fire Service stand cancelled an annulled due to \_\_\_\_\_

(Reasons to be recorded).

(Name and designation of the authorized signatory) The filled up certificate should be either in Hindi or English. If it is issued in vernacular language, translated notarized version in English be uploaded along with the original vernacular certificate as a single pdf.

## कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद उधम सिंह नगर।

ईमेल—cfoundn.ukfs@gmail.com,

पत्रांक: क्रमांक-233/न-3/एफ0एस0/ऑनलाईन/2023

दिनांक अप्रैल 18, 2023।

स्वामी/प्रबन्धक  
मै0 रेडरोज कान्वेन्ट स्कूल  
बरखेड़ा गदरपुर रुद्रपुर  
उधमसिंहनगर।

विषय :- अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

आपके प्रार्थनापत्र यूआईडी नं0-76320198 दिनांक 06-04-2023 के मै0 रेडरोज कान्वेन्ट स्कूल बरखेड़ा गदरपुर रुद्रपुर उधम सिंह नगर की अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण प्रभारी अग्निशमन अधिकारी रुद्रपुर द्वारा किया गया। प्रभारी अग्निशमन अधिकारी रुद्रपुर की निरीक्षण आख्या के अनुसार स्थापित अग्निशमन यन्त्र कार्यशील दशा में हैं। उपकरणों का निर्धारित परीक्षण शुल्क राजकोष में जमा करा दिया गया है।

निर्देशित किया जाता है कि अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में रखेंगे। संस्थान के विस्तार/अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है, तो अग्निशमन प्रमाण पत्र नये सिरे से लिया जाना अनिवार्य है, साथ ही अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त संस्थान को प्रत्येक 06 माह में भवन अथवा परिसर में अग्निशमन व्यवस्था एवं उपकरणों की स्थिति संतोषजनक एवं कार्यशील होने का स्व-घोषणा पत्र/Self Audit Report इस कार्यालय को ऑनलाईन/ऑफलाईन माध्यम से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

अतः मै0 रेडरोज कान्वेन्ट स्कूल बरखेड़ा गदरपुर रुद्रपुर उधम सिंह नगर को अग्निशमन सुरक्षा संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र 03 वर्ष हेतु दिनांक 18 अप्रैल 2023 से 17 अप्रैल 2026 तक इस आधार पर प्रदान किया जाता है कि निम्न शर्तों का पालन किया जाना आवश्यक होगा:-

- 1 सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते, सैटबैंक तथा सीढ़ियां प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जाय।
- 2 आपके संस्थान के सभी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का तथा सुरक्षित निष्क्रमण प्रक्रिया (Evacuation) का ज्ञान होना आवश्यक है।
- 3 सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी। अतिरिक्त अग्निशमन यन्त्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाय कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती। अतः प्रबन्धन को अग्निरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
- 4 भवन/संस्थान में विद्युत यन्त्रों की स्थापना, वैंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेविलिटी, सैट बैंक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन संबंधित अधिकारी से कराया जाय।
- 5 संस्थान के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने से पूर्व इस कार्यालय से मानचित्र अनुमोदित करवाकर मानक के अनुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था की जानी आवश्यक होगी।
- 6 विद्युत स्विच बोर्ड/विद्युत पैनल के आस-पास किसी भी प्रकार की ज्वलनशील सामग्री का भण्डारण नहीं किया जाएगा, भण्डारण किये जाने पर यह प्रबन्धन की लापरवाही मानी जाएगी तथा भविष्य में अग्निदुर्घटना घटित होने पर बीमा दावे हेतु संस्तुति नहीं की जाएगी।
- 7 संस्थान में कम्प्यूटर एवं अन्य लैब संचालित होने पर कम्प्यूटर लैब में एक अदद सीओटू एक्सटिंग्यूशर क्षमता 9.5 किग्रा0, अन्य लैब में एक अदद एबीसी फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 10 किग्रा0 मय 04 अदद सैण्ड बकट तथा जनरेटर के पास एक अदद एबीसी फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 10 किग्रा मय 04 अदद सैण्ड बकट के स्थापित किया जाना अनिवार्य होगा।

वंश बहादुर सादव  
मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
उधम सिंह नगर